# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 179/2025 बउनवानी जगराम सैनी **बनाम** अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री रामलाल सैनी निवासी हीरापुरा ढाणी तहसील मलारना डूँगर

**GCMS No-2025/349**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज | |
|---|---|---|
| 26.11.2025 | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 6.9.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **प्रार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 6.6.2025 को आपके पास भेजी गयी प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित प्रति**" अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।<br><br>लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांकः एफ.13(01)(138)सूकाअ/2025/1363 दिनांक 18.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 6.9.2025 मे चाही गयी सूचना का संबंध प्रभारी अधिकारी भू0 अभिलेख अनुभाग से होने के कारण लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 1094-96 दिनांक 11.9.2025 द्वारा प्रभारी अधिकारी भू0 अभिलेख को लिखा जाने पर प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग के पत्रांक 5257 दिनांक 23.9.2025 द्वारा वांछित सूचना (पत्रांक 3534 दिनांक 25.6.2025 जिसके द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 6.6.2025 को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपजिला कलक्टर मलारना डूँगर को भिजवाया गया है) की प्रति अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है।<br><br>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 6.9.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रभारी अधिकारी भू0अभिलेख अनुभाग कार्यालय हाजा के पत्रांक 5257 दिनांक 23.9.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।<br><br>( काना राम )<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर | |